फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

हंसराज बनाम रामसिंह

किस्म मुकदमा 223 आरटीए | नम्बर....08.../2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.04.19	अभिभाषक अपीलांट श्री श्यामदीन उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्ध हो। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उपरोक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15–10–2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं करते हुए डिस्पेंसविद् का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत डिस्पेंसविद् के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 15–10–2015 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र को रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र किया जा चुका है परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज वादपत्र के विरूद्व प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र को रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हम अपील के इसी स्तर पर परीक्षण न्यायालय को निर्देश देना उचित पाते है कि वे अपीलांट/वादी के रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का 15 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–04–2019 को उपस्थित होवें। अपील फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो। (रामनिवास जाट) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर	

Scanned by CamScanner